इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2017—पौष 22, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. 724-10-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ३३ में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा शासकीय क्षेत्र में पदस्थ हो, प्रशिक्षण की सीमा तक, आधुनिक वैज्ञानिक औषध, जो कि "एलोपैथी" के नाम से भी जानी जाती है तथा ऐसी अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं करने का भी पात्र होगा तथा चिकित्सा की एलोपैथी पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं अथवा केन्द्रों में पदस्थ किए जाने का भी पात्र होगा.".

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. 10-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2017

THE MADHYA PRADESH AYURVEDIC, UNANI TATHA PRAKRITIC CHIKITSA VYAVASAYI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 33.

2. In Section 33 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), in sub-section (4), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a person possessing a degree in Ayurvedic system or Unani system and registered with the Board and have undergone training specified by the Government, from time to time, and posted in Government sector shall also be eligible to practice modern scientific medicine which is also known as "allopathy" and such other medical procedures to the extent of training, and shall also be eligible to be posted in the Government health institutions or centers of allopathic system of medicine.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.